न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज Gcms-2023/486	नंबर व तारीख जो इस हुक्म तामील में
07/05/2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। पूर्व में पेश प्रा0 पत्र कायमी मुकामान न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं। वकील वादीगण ने पूर्व में संशोधित शीर्षक पेश किया जो अभिलेख पर लिया जाता हैं। प्रतिवादीगण सं0 3/1 ता 3/6 की ओर से श्री सुरेश कुमार सैनी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता हैं। वकुलाय उभयपक्ष की विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर मौखिक सहमति देते हुए वादपत्र में मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव से वकुलाय उभयपक्ष सहमत है। अतः वाद वादीगण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार ही डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by R Yadav
Date: 2025.05.26 12
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना **(सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. मुंशीलाल पुत्र मामराज
2. सुरेश कुमार पुत्र मामराज समस्त जाति माली निवासी ढाणी फिरासवाली तन श्यामनगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र बालूराम वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 115 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री देशराज शर्मा एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री नरेश सामोता, श्री सुरेश कुमार सैनी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज......................मुबलिग...बाबत..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 07 माह 05 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.............
ओहदा.............

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:03:55 IST
Reason: SelfAttested